

७

सरकार
रा. जस्व ४ ग्रुप-६ ४ विभाग

प्रेरितः— सम्मत जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

क्रमांकः— प. 14४। राज-६/2002/१

जयपुर, दिनांकः— १३. २. २००२

— एरिपत्र :—

विषयः— संस्थाओं को नियुक्त भूमि आवंटनावाद्।

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार ने निम्न कार्यों के लिखैर-सरकारी संस्थाओं
को १००० वर्गिक तक भूमि नियुक्त आवंटित किये जाने का निर्णय लिया हैः—

क्षण मुक्ति के लिए स्थापित किये जाने वाले चिकित्सा संस्थाओं के लिए
केन्द्रों की स्थापना हेतु।

२. पूद्वाक्रम स्थापित करने के लिए।
३. सार्वजनिक चायाउ, शौचालय, मूलालय का निर्माण कर, उनको रण-राजा करने
वाली संस्थाओं द्वारा।
४. इन बिधियों स्वाक्षर जनों के प्रशिक्षण तथा उन्हें स्वालम्बी बनाने हेतु
प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु।
५. पैंचांगों के लिए विश्रामधर।
६. रेन-ब्सेरे।
७. प्रेत कलब।

उपरोक्त प्रयोजन के लिए प्राप्त होने वाले उत्तावों का परीक्षण कर प्राप्त
संबंधित आवश्यक अभिलेखों के साथ राज्य सरकार लो स्वीकृति हेतु भिजवायें। इस संबंध
राजस्थान भू-राज्यक औ स्कूलों, कौलेजों, चिकित्सालयों, धार्मिकाओं स्व अन्य सार्वजनिक
उपयोग के भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन ४ नियम,
१९६३ संघीयन की कार्यवादी प्रक्रियाधीन है।

४ जी० सत० संधु ४
संधिव, राजस्व

प्रतिलिपिः सम्मत तंत्राग्नीय आयुक्त, राजस्थान को सामार्थ स्व आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेरित है।

भासन उप संधिव

मरोज़।